राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2300/2022

घमण्डी राम मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. राजस्व मण्डल जरिये रजिस्ट्रार, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, अलवर।
4. नसरू खान, पूर्व मंत्री, निवासी मुंगस्का कॉलोनी, अलवर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.07.2022
आदेश की दिनांक : 03.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी द्वारा व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नायब तहसीलदार (Officiating Tehsildar) के पद पर तहसील रामगढ़, जिला अलवर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 15.07.2022 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत बिना उल्लेख किए निलम्बित कर दिया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पटवारी के पद पर हुई थी और उसे भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया तदुपरान्त उसे नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति दी गई और वर्तमान में वह कार्यवाहक तहसीलदार के पद पर तहसील रामगढ़, जिला अलवर में माह जून, 2020 से कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी के संबंध में समाचार पत्र दिनांक 15.07.2022 को सिवायचक व चारागाह भूमि के गलत आवंटन के बारे में प्रकाशित हुई, जिसके आधार पर जिला कलक्टर के प्रस्ताव व अनुशंषा पर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 15.07.2022 के द्वारा निलम्बित कर दिया गया। निलम्बन से पूर्व अपीलार्थी को विभाग द्वारा किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलार्थी को राजनैतिक विद्वेष के कारण निलम्बित किया गया है। निलम्बन आदेश में सी.सी.ए. रूल्स के कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है। चूंकि निलम्बन आदेश सी.सी.ए. नियम के नियम 13 के अंतर्गत ही जारी

किया जा सकता है। उनका कथन है कि निलम्बन कोई दण्ड नहीं है लेकिन निलम्बन आदेश अनियमितता के आधार पर जारी किया जाना चाहिए जबकि यह आलोच्य आदेश राजनैतिक प्रभाव में आकर जारी किया गया है, जो राजस्थान सेवा नियमों के विपरीत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे और आलोच्य आदेश दिनांक 15.07.2022 जिसके द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है, को स्थगित करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को नोटिसेज जारी किए जाएं तथा उक्त आलोच्य आदेश को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथावत कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि अपीलार्थी द्वारा नायब तहसीलदार रामगढ़ के पद पर होते हुए तहसीलदार के पद पर कार्य करते हुए अपीलार्थी के द्वारा पद का दुरूपयोग कर निम्न नामान्तरकरण स्वीकार किए गए है।

क्रं.सं.	नाम ग्राम	नामा0 संख्या	नामा0 की दिनांक	भूमि का स्वामित्व	प्रभावित रकबा	वि. वि
1.	कमालपुर	100	30.06.2020	चारागाह	4.38	
2.	ढाढोली	380	30.06.2020	चारागाह	7.72	
3.	ढाढोली	381	02.07.2020	नगर विकास न्यास	4.72	
4.	अग्यारा	348	13.04.2015	नगर विकास न्यास	0.49	
5.	अग्यारा	349	13.04.2015	नगर विकास न्यास	1.45	
6.	अग्यारा	350	13.04.2015	नगर विकास न्यास	1.45	
7.	अग्यारा	351	13.04.2015	नगर विकास न्यास	1.40	
8.	रूधधूनीनाथ	292	13.04.2015	नगर विकास न्यास	1.02	
9.	रूधधूनीनाथ	293	13.04.2015	नगर विकास न्यास	0.86	
10.	रूधधूनीनाथ	426	24.09.2021	नगर विकास न्यास	1.00	
11.	रूधधूनीनाथ	428	24.09.2021	नगर विकास न्यास	1.27	
12.	कमालपुर	106	24.09.2021	नगर विकास न्यास	2.81	
13.	सांखला	239	24.09.2021	नगर विकास न्यास	2.50	
14.	अग्यारा	614	28.09.2021	नगर विकास न्यास	1.00	

16.82 हैक्ट. भूमि चारागाह तथा 15.25 हैक्ट. सिवायचक से यूआईटी के नाम दर्ज भूमि की क्षति हुई है। जिला कलक्टर के पत्र दिनांक 15.07.2022 द्वारा अनुशंषा किए जाने पर अपीलार्थी को दिनांक 15.07.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा निलम्बित किया गया। उक्त आदेश पूर्ण रूप से वैधानिक आदेश है तथा यह आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जनहित में जारी किया गया है। इस आदेश के जारी होने के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ के आदेश दिनांक 26.11.2021 जिसके द्वारा प्रार्थी मौहम्मदा पुत्र हरिसिंह को खसरा नं. 24 रकबा 0.32 है व 25 रकबा 0.32 है, को ग्राम जाडोली को गैर खातेदार घोषित किया गया था। राज्यहित प्रभावित नहीं होने पर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 06.08.2022 द्वारा सीसीए नियम 16 के तहत चार्ज शीट प्रस्तावित की गई है। अतः अपीलार्थी की अपील मय हर्जे–खर्चे के खारिज फरमाई जावे।

बहस के दोहरान अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपील के अभिकथनों को दोहराया तथा व्यक्त किया कि अपीलार्थी को अभी तक आरोप पत्र नहीं दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि कार्मिक (क–3/जांच) विभाग के परिपत्र दिनांक 31.07.2018 के अनुसार यदि 45 दिवस के भीतर कार्मिक विभाग को अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव नहीं भेजे गए तो निलम्बन स्वमेव ही निष्प्रभावी माने जाने के निर्देश है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 662/2022 जहागीर अली खान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.05.2022 में यह निर्देश दिये गये है कि यदि आरोपी को निलम्बन आदेश के 90 दिवस में आरोप पत्र नहीं दिए गए है, तो निलम्बन की अवधि तीन माह से ज्यादा नहीं बढाई जानी चाहिए। अतः अपील स्वीकार की जावे निलम्बन आदेश को निरस्त फरमाया जावे। राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपील के जवाब में वर्णित बिन्दुओं को दोहराया जाकर बहस की गई। हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एव अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.07.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। आलोच्य आदेश में अंकित किया गया है किः–

''जिला कलक्टर अलवर के द्वारा उनके पत्र क्रमांक 5282 दिनांक 15.7.22 से श्री घमण्डी राम मीणा, नायब तहसीलदार रामगढ़ (हाल कार्यवाहक तहसीलदार रामगढ) को राजस्व कार्य में अनियमितता बरतने के कारण निलम्बित किये जाने के अनुशंषा के आधार पर श्री घमण्डी राम मीणा नायब तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर को एतद्द्वारा तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निर्धारित किया जाता है''

तथा इसी आदेश के पृष्टांकन में अंकित किया गया है किः–

''जिला कलक्टर अलवर को उनके पत्र क्रमांक 5282 दिनांक 15.07.2022 के क्रम में प्रेषित कर निवेदन है कि श्री घमण्डी राम मीणा नायब तहसीलदार रामगढ जिला अलवर के विरूद्ध सीसीए नियम–16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तत्काल राजस्व मण्डल को प्रेषित करावे।''

इस प्रकार यह अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित होना तथा प्रकरण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 (a) होना स्पष्टतः सिद्ध होता है। आलोच्य निलम्बन आदेश में नियम 13 (a) अंकित नहीं किए जाने मात्र से आलोच्य आदेश नियम विरूद्ध नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस के दोहरान कार्मिक (क–3/जांच) विभाग के परिपत्र दिनांक 31.07.2018 का संदर्भ दिया गया। उक्त परिपत्र राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए तथा उन प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्षों एवं नियंत्रण अधिकारियों के लिए है जो स्वयं निलम्बन के लिए सक्षम

नहीं है। विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी राज्य सेवा का अधिकारी नहीं है तथा राजस्व मण्डल को स्वयं को निलम्बन की शक्तियां है, अतः कार्मिक परिपत्र दिनांक 31.07.2018 उक्त विचाराधीन प्रकरण में लागू नहीं होता है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस के दोहरान निलम्बन आदेश के तीन माह व्यतीत होने तथा आरोप पत्र नहीं दिए जाने के कारण निलम्बन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस के दोहरान यह नया तथ्य जिक्र किया गया। अपीलार्थी के अपील के अभिकथनों (Pleadings) में यह तथ्य अंकित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में इस तथ्य का जिक्र किया जाता तो प्रत्यर्थी विभाग को भी इस बिन्दु पर जवाब देने को न्यायोचित रूप से अवसर दिया है। चूंकि उक्त बिन्दु अपील के अभिकथनों (Pleadings) में ही वर्णित नहीं है तथा प्रत्यर्थी विभाग को इस बिन्दु के संबंध में जवाब का अवसर ही नहीं दिया है अतः इस बिन्दु के संबंध में कोई निर्णय किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः उपुर्यक्त समस्त विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट है कि निलम्बन आदेश दोषयुक्त नहीं माना जा सकता है। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने से एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य